

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 27.05.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-158/26 धारा 309(4)/317(2)/115(2)/126(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त विश्वनाथ दोहरे उर्फ मझले पुत्र धोबीलाल निवासी ठकुरनगढ़ेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-106/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त हरिओम पुत्र दिलीप कुमार निवासी नारखुर्द थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अ0सं0-43/26 धारा 70(1)/109/75/115(2)/352/131 बीएनएस व 3(1)द (ध)/3(2)v एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामू सविता उर्फ राजा पुत्र सुरेश सविता उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम देवब्रम्हापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार व बाल अपचारी अंकुश पुत्र सर्वेश कुमार सविता निवासी देव ब्रह्मपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात (वांछित) को पुलिस संरक्षण में लेकर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0-187/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल पुत्र अतर सिंह निवासी ब्रह्मनगर कंजड डेरा कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 30 वर्ष (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. घनश्याम प्रजापति पुत्र स्व0 शिवप्रसाद निवासी ग्राम बैरागीहार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 43 वर्ष, 2. आशीष उर्फ चन्टू पुत्र दिनेश यादव निवासी रामदीनपुरवा थाना रनियां जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष व 3. मो0 शानू पुत्र यासीन निवासी ग्राम बीलापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 40 वर्ष के कब्जे से 58 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-232/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 26 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 09 व्यक्तियों, थाना देवराहट पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।